न्यायालय ज़िला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अरूण कुमार पुरोहित, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 38/2021

अपीलांट्स्स –

1. देवाराम पुत्र केसराराम
2. रूगनाथ पुत्र केसराराम
3. पेमाराम पुत्र केसराराम
4. जोगाराम पुत्र केसराराम
5. रूखमणाराम पुत्र केसराराम
6. चूनी पत्नी केसराराम

जातियान जाट, निवासी खारावाला तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार चौहटन
2. गुलाराम पुत्र वीरमाराम
3. डालूराम पुत्र चिमनाराम
4. शोभाराम पुत्र चिमनाराम
5. रामूदेवी पत्नी चिमनाराम

जातियान जाट, निवासी खारावाला तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 860 दिनांक 05.06.2018 जो तहसीलदार चौहटन द्वारा खातेदारी की भूमि को विभाजित करने हेतु पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री वीरमाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं. 2 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।
3. रेस्पोडेंट सं. 01 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 02.08.2023

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार चौहटन के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 860 दिनांक 05.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा खारावाला के खेत खसरा नबंर 1164/1063 रकबा 4–16 बीघा, खसरा नम्बर 1170/1080 रकबा 130–04 बीघा एवं 1168/1080 रकबा 40–13 बीघा भूमि देवा, रूगनाथ, पेमा, जोगा, रूखमणा पिसरान केसरा, चूनी पत्नी केसरा, गुला पुत्र वीरमा, डालूराम, शोभाराम पिसरान चिमनाराम, रामूदेवी पत्नी चिमनाराम कौम जाट सा. देह खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से विभाजन इकरारनामा तहसीलदार चौहटन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार

जिला कलक्टर
बाडमेर

चौहटन ने अपने आदेश क्रमांक 860 दिनांक 05.06.2018 के द्वारा संयुक्त खातेदारी का सहमति विभाजन स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.10.2021 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार चौहटन से अपीलाधीन अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता अपीलांट्स को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौहटन द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है। अपीलाधीन आदेश में भूमि की उर्वरा स्थिति, पक्षकारान के कब्जा एवं सड़क सुविधा को ध्यान में रखा जाना आवश्यक था किन्तु अपीलाधीन आदेश में इस अहम मुद्दे को अनदेखा किया गया हैं। रेस्पोडन्ट सं. 02 से 05 ने अपीलांट्स का विश्वास अर्जित कर कुछ खाली पेपरों पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशानात करवा लिये लेकिन उक्त पेपरो के साथ संलग्न नक्शा में उस समय कोई रंग भरे हुए नहीं थे। अपीलांट्स द्वारा बिना रंग भरे नक्शे पर आपत्ति दर्ज करने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा बताया गया कि पटवारी मौका कब्जा काश्त के अनुसार घर, टांको, कब्जा काश्त को बिना प्रभावित करते हुए आवागमन के रास्तों को ध्यान में रखते हुए ही सही रंग भरेगें लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 05 ने हलका पटवारी से मिलिभगत कर अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव गलत तरीके से स्वीकृत करवा दिया गया। अपीलाधीन कार्यवाही अपीलांट्स को बिना बताए संपादित की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 क में सहमति विभाजन के प्रावधान है तथा उक्त प्रावधान अनुसार भूमिधारी सहखातेदारान की भूमि विभाजन हेतु प्रस्तावित भूमि का भौतिक रूप से माप किया जाना आवश्यक है किन्तु हस्तगत प्रकरण में विभाजन किये गए खसरों का भौतिक रूप से माप एवं सर्वे नहीं किया गया है इस आधार पर अपीलाधीन आदेश खारिज योग्य है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स की अनुपस्थिति में पारित किया है जो एकपक्षीय आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य हैं। अपीलांट्स ग्रामीण व्यक्ति होने व कानूनी बारीकियों से अनभिज्ञ होने से इसका ज्ञान उसे नहीं हो सका। अपीलाधीन विभाजन के फलस्वरूप अपीलांट्स के हिस्से में आई भूमि मौके पर रेस्पोडेंट्स के कब्जे में है, लिहाजा मौके पर कब्जा–काश्त एवं नक्शा ट्रेस में भिन्नता होने से अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की पालना में नामान्तरकरण भी पारित कर दिया गया तथा लट्ठा ट्रेस में अलग–अलग तरमीम भी कर दी गई जिसकी जानकारी अपीलांट्स को नहीं हुई। कुछ अर्सा पूर्व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 द्वारा अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तथा अपीलांट्स की रहवासी ढ़ाणीया व पानी के टाके अपने हिस्से में आने का बताया तथा अपीलांट्स के आवागमन व कृर्षि कार्य में बाधा डाल कर आवागमन के रास्तों को अवरूद्ध किया तथा अपीलांट्स की कृर्षि कार्य हेतु पड़ौसी के खेत से पानी लाने हेतु लगाई हुई पाईप लाईन को उखाड़ कर तोड़ दी, तब पूछने पर उक्त गलत बंटवाड़ा बाबत बताया, जब रेस्पोडेन्ट्स के बटवाड़ा का ज्ञान हुआ तथा नामान्तरकरण की प्रति प्राप्त की तथा अपीलाधीन आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतु तहसीलदार चौहटन को आवेदन किया जिस पर तहसीलदार चौहटन द्वारा उक्त पत्रावली की दिनांक 27.09.2021 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की। प्रतिलिपि मिलने पर सर्वप्रथम जानकारी होने की दिनांक से सम्यक तत्परता से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई सद्भाविक देरी को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपीलांट्स की यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश निरस्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुना गया।

7. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा खारावाला के खेत खसरा नबंर 1164/1063 रकबा 4–16 बीघा, खसरा नम्बर 1170/1080 रकबा 130–04 बीघा एवं 1168/1080 रकबा 40–13 बीघा भूमि देवा, रूगनाथ, पेमा, जोगा, रूखमणा पिसरान केसरा, चूनी पत्नी केसरा, गुला पुत्र वीरमा, डालूराम, शोभाराम पिसरान चिमनाराम, रामूदेवी पत्नी चिमनाराम कौम जाट सा. देह खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से विभाजन इकरारनामा तहसीलदार चौहटन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार चौहटन अपने आदेश क्रमांक 860 दिनांक 05.06.2020 के द्वारा संयुक्त खातेदारी का सहमति विभाजन स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध यह अपील दिनांक 01.07.2020 को पेश की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के संबंध में प्रकट किया कि कुछ अर्सा पूर्व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 द्वारा अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तथा अपीलांट्स की रहवासी ढ़ाणीया व पानी के टाके अपने हिस्से में आने का बताया तथा अपीलांट्स

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

के आवागमन व कृर्षि कार्य में बाधा डाल कर आवागमन के रास्तों को अवरूद्ध किया तथा अपीलांट्स की कृर्षि कार्य हेतु पड़ौसी के खेत से पानी लाने हेतु लगाई हुई पाईप लाईन को उखाड़ कर तोड़ दी, तब पूछने पर उक्त गलत बंटवाड़ा बाबत बताया, जब रेस्पोडेन्ट्स के बटवाड़ा का ज्ञान हुआ जबकि अपीलाधीन बटवाड़ा दिनांक 05.06.2018 को हो गया था जो कि अपीलांट्स की उपस्थिति में उनकी सहमति से स्वीकृत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट्स व उत्तरदातागण ने विवादित भूमि का आपसी सहमति से मौके पर पूर्व में किये गए बाहमी बटवाड़ा व कब्जा–काश्त अनुसार सहमती से विधिवत बटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार चौहटन के समक्ष उपस्थित हुए। तहसीदार चौहटन द्वारा दोनों पक्षों को विभाजन प्रस्ताव पढ़कर समझाया, जिसे स्वीकार करते हुए हलका पटवारी के रूबरू हस्ताक्षर किये गए। तहसीलदार द्वारा दोनों पक्षों से पूछताछ करने एवं दोनों पक्षों द्वारा सहमती प्रदान करने के बाद ही विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। इस प्रकार आलौच्य विभाजन सही एवं विधिसम्मत है तथा एक बार सहमति देने के पश्चात् मौके की स्थिति को अपीलाधीन आदेश की सुसंगती में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता हैं। इस प्रकार हस्तगत अपील मेरिट पर दुर्बल होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 02.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर